प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 89/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने ''कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों'' पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 21 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ''कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों'' पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ दिनांक 07.03.2022 द्वारा ड्राइव-इन-थिएटर जैसी सेवाओं के लिए नया सेवा प्रदाता शुरु करने की आवश्यकता और समय पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क)(i) के तहत प्राधिकरण से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. ड्राइव-इन थिएटर सेटिंग के अंदर दर्शकों तक मूवी ऑडियो का प्रसारण करने के लिए, सबसे कुशल तकनीकों में से एक के रूप में कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण का उपयोग किया जाता है। ड्राइव-इन थिएटरों के अलावा, कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण के उपयोग के कई अन्य मामलों की पहचान की जा सकती है, जो विशिष्ट स्थानों और रिसेप्शन क्षेत्रों को सेवित कर सकते हैं। उदाहरणों में अस्पताल रेडियो सेवाएं, मनोरंजन पार्क, व्यावसायिक परिसर, आवासीय परिसर, छोटी बस्तियां जैसे संवृत समुदाय, स्थानीय कार्यक्रमों जैसे एयर शो और खेल आयोजनों के लिए कमेंट्री शामिल हैं।

4. इस संबंध में, 17 अप्रैल 2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था जिसमें कम पावर वाली रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण से जुडे मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमश: 22 मई 2023 और 5 जून 2023 थी। ट्राई को हितधारकों से 6 टिप्पणियां और 1 प्रति-टिप्पणी प्राप्त हुई। प्राप्त सभी टिप्पणियां ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। तत्पश्चात, 19 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफ़ारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो के प्रावधान के लिए 'कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम रेडियो प्रसारण' नाम से सेवा प्रदाता की एक नई श्रेणी प्रारंभ करना।

ख. एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकार एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ग. कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण के लिए उपकरण ट्रांसमिट करने के लिए टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी) की स्वीकृति।

घ. 'कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण' के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकार के लिए पात्र संस्थाएं:

A. **एकल व्यक्ति,** जो भारत के नागरिक हैं और उम्र 18 वर्ष से अधिक है। निम्नलिखित व्यक्ति 'कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण' के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकार के लिए पात्र नहीं हैं:
   i. ऐसा व्यक्ति, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की गई है;
   ii. ऐसा व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया है;
   iii. ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हों, चाहे वो नैतिक अधमता से जुडा हो या अन्यथा।

B. **एलएलपी और साझेदारी फर्म सहित कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी**। निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाएं 'कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण' के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकार के लिए पात्र नहीं हैं:
   i. रानीतिक दल और उनके सहयोगी संगठन; [छात्र, महिलाएं, ट्रेड यूनियन और इन दलों से संबद्ध ऐसे अन्य पक्षों सहित]
   ii. राजनीतिक निकाय द्वारा नियंत्रित या उससे संबद्ध कंपनी;
   iii. किसी धार्मिक निकाय द्वारा नियंत्रित या उससे संबद्ध कंपनी;
   iv. ऐसी कंपनी, जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हों, चाहे वो नैतिक अधमता से जुडा हो या अन्यथा।

ङ. 'कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण' सेवाओं के लिए अनुमति अवधि होनी चाहिए:

i. तीस दिनों तक

ii. पांच वर्षों तक

च. कोई आवेदन/प्रवेश शुल्क नही लिया जाएगा।

छ. लाइसेंस/अनुमति/प्राधिकार शुल्क तीस दिनों तक की अनुमति के लिए 1000 रु. और पांच वर्ष की अनुमति के लिए 10,000 रु. प्रतिवर्ष होगा।

ज. डब्ल्यूपीसी को गहन मूल्यांकन करना चाहिए और कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण की विशेष आवश्यकताओं के लिए उचित फ्रीक्वेंसी स्थान आरक्षित करना चाहिए।

झ. डब्ल्यूपीसी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के दो दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण के लिए फ्रीक्वेंसी को प्रशासनिक रूप से सौंपा जाना चाहिए।

ञ. कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण के लिए लाइसेंस/पंजीकरण/प्राधिकार धारकों को किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी (एनालॉग/डिजिटल/कोई अन्य) को लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ट. 'कम पावर वाली छोटी रेंज के रेडियो प्रसारण' की अधिकतम अनुमेय ट्रांसमिशन रेंज 500 मीटर होनी चाहिए।

ठ. कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम के मामले में फ़्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को सटीक भौगोलिक निर्देशांक जैसे वांछित सेवा स्थान के देशांतर और अक्षांश के आधार पर स्थान-विशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए (चाहे वह एक भवन, स्टेडियम, सम्मेलन केंद्र, एक्सपो क्षेत्र आदि हो)

ड. कम पावर वाली छोटी रेंज के एफएम प्रसारण के लिए अधिकतम अनुमेय ट्रांसमिशन पावर 1 वाट होनी चाहिए।

6. सिफारिशों का पूर्ण पाठ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

7. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, महानिदेशक ट्राई सीएसआर और सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11- 23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई